

CCI ने गूगल के एंटीट्रस्ट सेटलमेंट को मंजूरी दी

[स्रोत: द हट्टि](#)

[भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग \(CCI\)](#) ने प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 48A(3) के तहत एंड्रॉइड टीवी मामले में गूगल के नपिटान (Settlement) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो [भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग \(नपिटान\) वनियम, 2024](#) के तहत एक महत्वपूर्ण समाधान है।

- **मामले की पृष्ठभूमि:** प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19(1)(a) के तहत मामले में आरोप लगाया गया कि गूगल ने अपने एंड्रॉइड टीवी OS के साथ प्ले स्टोर को जोड़कर और वैकल्पिक एंड्रॉइड संस्करणों को प्रतिबंधित करके एंड्रॉइड टीवी बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया।
 - प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19(1)(a) CCI को धारा 3 (प्रतस्पर्द्धा-वशिधी समझौते) या धारा 4 (प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग) के कथित उल्लंघनों की जाँच करने का अधिकार देती है।
- **जाँच नषिकर्ष:** CCI ने पाया कि भारत में स्मार्ट टीवी OS और ऐप स्टोर बाजार में गूगल का प्रभुत्व है, तथा वह प्रतस्पर्द्धा और नवाचार को रोकने के लिये अनुचित तरीकों का प्रयोग कर रहा है।
- **नपिटान प्रक्रिया:** प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 48A(3) (नपिटान प्रक्रिया से संबंधित) के अंतर्गत, गूगल ने बंडलिंग आवश्यकताओं को हटाकर, OEM को गैर-गूगल एंड्रॉइड डेविस वकिसति करने की अनुमति देकर और 20.24 करोड़ रुपए का नपिटान शुल्क देकर समझौता करने पर सहमति व्यक्त की।
- **CCI:** यह प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिये वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
 - इस अधिनियम ने राघवन समिति (1999) की सिफारिशों पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP अधिनियम) का स्थान लिया।
 - CCI ने [प्रतस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण \(COMPAT\)](#) के स्थान पर [राष्ट्रीय कंपनी वधि अपील न्यायाधिकरण \(NCLAT\)](#) की स्थापना की।
 - प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 (वर्ष 2023 में संशोधित) CCI को प्रतिबंधिता और नपिटान वनियम, 2024 के माध्यम से उल्लंघनों को संबोधित करने का अधिकार देता है, जिससे उद्यमों को प्रतिबंधिताएँ प्रस्तुत करने या नपिटान शुल्क का भुगतान करने की अनुमति मिलती है।

और पढ़ें: [अमेरिका और भारत में गूगल की एंटीट्रस्ट शिकायते](#)